

25 सितम्बर के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं के संबंधों में आई तल्खी बरकरार

समन्वय समिति की बैठक में गहलोत और पायलट की ना नज़रें मिलीं ना हुआ अभिवादन



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर, 23 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच तल्खी काफी बढ़ चुकी है। गत 23 नवंबर को जयपुर में हुई भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में हुई बैठक के दौरान भी संबंधों की तल्खी स्पष्ट रूप से नजर आई।

कांग्रेस की कोर्दिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक

गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों मौजूद तो रहे, लेकिन दोनों नेताओं में ना तो अभिवादन का आदान-प्रदान हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई।

हुआ यू कि इस बैठक के लिए सुबह 11.30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद 12.30 बजे पहुंचे।

बैठक में शामिल होने के लिए जैसे

- हुआ यू कि, इस बैठक के लिए सुबह 11.30 बजे सचिन पायलट पहुंच गए लेकिन मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद 12.30 बजे पहुंचे।
- बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही गहलोत कक्ष में पहुंचे वैसे ही, पायलट के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हुए।

- गहलोत अपनी कुर्सी के पास पहुंचे और चारों तरफ देखते हुए बैठ गए। इस दौरान पायलट ने गहलोत को देखा पर दोनों की नज़रें नहीं मिलीं।

ही गहलोत कक्ष में पहुंचे तभी पायलट



सचिन पायलट

के साथ ही अन्य सभी लोग भी खड़े हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाथ जोड़कर गहलोत का अभिवादन किया। गहलोत अपनी कुर्सी के पास पहुंचे और चारों तरफ देखते हुए बैठ गए।

इस दौरान पायलट ने गहलोत को देखा, पर दोनों की नज़रें नहीं मिलीं। बैठक गहलोत के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन पायलट आधे घंटे के बाद

ही चले गए।

समन्वय समिति की इस बैठक में तय किया गया है कि समन्वय समिति के सदस्य 25 नवंबर को झालावाड़ से अलवर तक के पूरे यात्रा मार्ग का जायजा लेंगे और किस तरह से यात्रा को संपन्न कराया जाए इस बारे में रणनीति तय की जाएगी। बुधवार को हुई बैठक में समिति के सभी 32 सदस्य मौजूद थे।

ई.डब्ल्यू.एस. पर कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की चुनौती

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। कांग्रेस नेता जया ठाकुर, जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव हैं, ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के 7 नवम्बर के उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये याचिका दायर कर दी, जिस फैसले में न्यायालय ने नौकरियों तथा प्रवेशों में इकोनॉमिकली वीकर सैकशंस (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिये 2019 में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले का अनुमोदन कर दिया गया था।

- कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की नेता जया ठाकुर ने गरीबों को आरक्षण संबंधी फैसले को पलटने की मांग करते हुए याचिका दायर की।

ज्ञातव्य है कि इस आरक्षण में एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. श्रेणियों के गरीब लोगों को शामिल नहीं किया था।

उन्होंने पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के अल्पमत के फैसले का समर्थन करते हुये, तीन जजों के बहुमत वाले फैसले को उलटने की माँग की।

इस ऐतिहासिक महत्व के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की खंडपीठ ने कहा था कि आर्थिक न्याय प्रदान करने के सरकार के प्रयास को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र का एम.वी.ए. मॉडल, बिहार में लाना चाहती है जे.डी.यू.

एम.वी.ए. (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) गठबंधन, जिसमें शिव सेना, पवार की पार्टी व कांग्रेस भी शामिल हैं, काफी हद तक सफल रहा और महाराष्ट्र में तथा सरकार भी बनाई थी

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। महाराष्ट्र के एम.वी.ए. मॉडल को बिहार तथा उत्तर

सेना (यू.बी.टी.) नेता आदित्य ठाकरे तथा पार्टी संसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पटना में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भेंट की तथा उसके बाद उनकी

- आदित्य ठाकरे व प्रियंका चतुर्वेदी, पटना में उप मु.मंत्री नीतीश कुमार से इस संदर्भ में मिले।
- नीतीश का नारा है कि, अगर गैर भाजपा पार्टियाँ संगठित होकर चुनाव लड़ें तो, भाजपा को पराजित किया जा सकता है।
- हालांकि, शिव सेना से हाथ मिलाने से नीतीश का मौलिक राजनीतिक सोच आहत होता है, पर इस दुविधा से यह कहकर निपटा जा रहा है कि, गठबंधन भाजपा को हराने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

प्रदेश तक पहुँचाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि 2024 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।

इस प्रकार के प्रयास के संकेत बुधवार को उस समय मिले, जब शिव

मोर्तिङ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई। शिव सेना पिछले कुछ वर्षों से बिहार में विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही है लेकिन उसे कोई खास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘फुटबॉल फैडरेशन, फुटबॉल के अलावा सब कुछ करती है’

‘विद्युत नियामक आयोग तीन माह में विद्युत शुल्क के नियम बनाएं’

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर काफी तीखी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने

अपनी इस तीखी टिप्पणी की अनुपालना करते हुए सुप्रीम कोर्ट 6 दिसम्बर के नये संविधान के बारे में सुनवाई करेगा

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ऑल इण्डिया फुटबॉल फैडरेशन (ए.आई.एफ.एफ.) और इस खेल इकाई से संबंधित संविधान के मसौदे पर उठी आपत्तियों को लेकर दायर एक याचिका पर 6 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक बैंच ने गौर किया कि खेल इकाई को कुछ त्वरित मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इससे पूर्व, बैंच ने टिप्पणी की थी कि फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। उसने लोगों से कहा था कि वे स्पोर्ट्स नेशनल फैडरेशन के संविधान मसौदे पर न्याय मित्र को सुझाव दें। बैंच ने टिप्पणी की

- सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को जल्द से जल्द कराने की दृष्टि से अपने पुराने निर्णय को भी बदला, जिसके तहत तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी, फुटबॉल फैडरेशन का कामकाज देखने के लिये।

थी “हम फुटबॉल के अलावा सबकुछ कर रहे हैं।

बैंच ने गत 9 नवम्बर को सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन से पूछा था कि आपत्तियों को सारणीबद्ध करने के लिए न्याय मित्र के रूप में बैंच की सहायता कौन कर रहा है ताकि संविधान मसौदे को अंतिम रूप दिया जा

सके।

इससे पहले टॉप कोर्ट ने इसके द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी भंग कर दी, जिनका गठन नेशनल फुटबॉल फैडरेशन के गठन के लिए किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर निलम्बन का खंडन करने की सुविधा प्रदान की। यह निलम्बन अन्तर्राष्ट्रीय फुटबॉल फैडरेशन, फीफा, ने लगाया था। इससे भारत को अण्डर-17 वीमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन की सुविधा भी मिली।

18 मई को इसने रिटायर्ड जस्टिस अमिल आर. दवे के नेतृत्व में प्रबंध समिति गठित की जिसने पूर्व सी.ई.सी. एस.वाय. कुरैशी, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली और राजनेता प्रफुल्ल पटेल शामिल थे।

यह आदेश युवा एवं खेल मामलाल मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। विद्युत-शुल्क तय करने में तदर्थवाद का उल्लेख करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी राज्यों के नियामक आयोगों (रेग्युलेटरी कमीशंस) को निर्देश दिये हैं कि वे तीन माह के अन्दर, शुल्क के निर्धारण की शर्तों पर अधिनियम की

- सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर कम्पनी की महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सभी राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों को उक्त निर्देश दिए।

धारा 181 के तहत विनियम तैयार करें। यह फैसला महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन के खिलाफ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ट्रांसमिशन द्वारा दायर की गई अपील को खरिज करते हुये दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नियामक आयोगों ने अधिनियम में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 नवम्बर। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एवं अपेक्षित मान्यता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक ढाँचे या लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध राष्ट्र के संचालन के लिये दो महत्वपूर्ण पूर्व शर्तें हैं, लेकिन क्या ये दोनों हमारे देश में मौजूद हैं?

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ इस समय इसी प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि चार जनहित याचिकाओं के समूह ने माँग की है कि भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति-प्रक्रिया में सुधार की विफारिश/अनुशंसाएं की जायें। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह केन्द्र की इस स्थिति पर प्रश्न खड़े किये कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिये कोई भी कानून नहीं है। अदालत ने इस प्रकार के कानून

- संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में चुप हैं। इस चुप्पी का लाभ लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त जल्दी-जल्दी बदल दिए जाते हैं, जिनको काम करने का लम्बा समय नहीं मिलता।

- यू.पी.ए. सरकार के दस साल के शासन में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। एन.डी.ए. सरकार के आठ साल में आठ नये-नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई।
- संविधान की इस चुप्पी का मतलब था, सरकार संसद में इसके मुतल्लिक कानून पारित करे। पर गत 72 सालों में किसी सरकार ने यह काम नहीं किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि, प्रजातंत्रीय व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिये, निष्पक्ष व जायज़ चुनाव होना जरूरी हैं, पर, क्या यह अपने देश में हो रहा है?

के अभाव को “व्याकुलता पैदा करने वाली प्रवृति या स्थिति” की संज्ञा दी है। आज सुनवाई जारी रखते हुये, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के

चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियाँ एवं प्रश्न आये। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कुछ विशिष्ट फाइलों की माँग की- आयोग में

19 नम्बर को हुई अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल। सुनवाई कल जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की इस संविधान पीठ ने कहा कि बैंच यह जानना चाहती है कि क्या नियुक्ति में कोई “चालबाजी” हुई थी क्योंकि उन्हें अभी हाल ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी तथा तुरन्त ही उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त कर दिया गया था।

इस याचिका-समूह की सुनवाई के दौरान, ऐक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण ने अरुण गोयल की नियुक्ति की ही प्रक्रिया का उल्लेख किया। भूषण ने जोर देकर कहा कि गोयल, जो अभी-अभी सेवानिवृत्त हुये आई.ए.एस. अधिकारी हैं, को तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग का हिस्सा बना दिया गया। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा अनूप चन्द्र पान्डे की नियुक्ति हुई थी। गत सप्ताह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में कितने पद हैं?’

जोधपुर, 23 नवम्बर (कासं.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में हलफनामा और तालिका पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में सभी श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और निश्चित रूप से यह भी

- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने राज्य सरकार से हलफनामा पेश कर जानकारी देने को कहा।

बताएं कि इन पदों की संख्या कितनी है और रिक्त पदों को सरकार कब तक भर देगी। जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा की जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता रणजीत जोशी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की बात पर पायलट कैम्प के निशाने पर विजय बैसला

पायलट ने कहा, यात्रा से भाजपा के लोग विचलित हैं, वे यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं

- इंद्राज गुर्जर ने कहा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का समाज में बहुत सम्मान है, लेकिन विजय बैसला...।
- इंद्राज गुर्जर ने कहा कि, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैसला ने पुष्कर में षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनके षड्यंत्र का भांडा फूट गया।
- राजेन्द्र गुद्धा बोले, यह सचिन पायलट और गुर्जर समाज को बदनाम करने का प्रयास है, अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है।

राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी और अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान और गुर्जर समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि किसी मेहमान का विरोध किया जाए। राजस्थान में तो मेहमान नवाजी की परंपरा है। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का समाज में बहुत सम्मान है लेकिन विजय बैसला तथाकथित गुर्जर नेता है।

विजय बैसला किसी की राजनीतिक साजिश का शिकार हैं और समाज के लोगों ने ही अब उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की आरक्षण संघर्ष समिति और समाज के 72 युवाओं के बलिदान से समाज को आरक्षण मिला है। अगर गुर्जर आरक्षण में कोई विरसंगतियां हैं तो विजय बैसला को समाज के विधायकों को साथ सरकार से

वार्ता करनी चाहिए, लेकिन विजय बैसला बंद कमरे में वार्ता करके चले आते हैं।

इंद्राज गुर्जर ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैसला ने पुष्कर में षड्यंत्र रचा था, लेकिन उनके षड्यंत्र का भांडा फूट गया कि विजय बैसला किन लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। उन लोगों को समाज के विरोध के सामने भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि विजय बैसला पिछले 2 दिन से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। वह भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्हें भाजपा की बात करनी चाहिए।

इसी मामले को लेकर मंत्री राजेंद्र गुद्धा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पार्टी लिए उनके विरोधी नेता नए-नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। विजय बैसला को भी सामने रहे हैं। यह सब सचिन पायलट और गुर्जर

समाज को बदनाम करने की साजिश है। गुद्धा ने कहा कि अगर विजय बैसला के साथ सरकार ने कोई समझौता किया था तो उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय का घेराव करना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का क्या तुक है। राहुल गांधी कोई सरकार में नहीं है। विजय बैसला की समस्याओं का समाधान तो केवल मुख्यमंत्री के पास है। राजेंद्र गुद्धा ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा स्वागत किया जाएगा कि ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं हुआ होगा और यह हमारी गारंटी है कि एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। गुद्धा ने कहा कि सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है और इसके लिए उनके विरोधी नेता नए-नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। विजय बैसला को भी सामने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

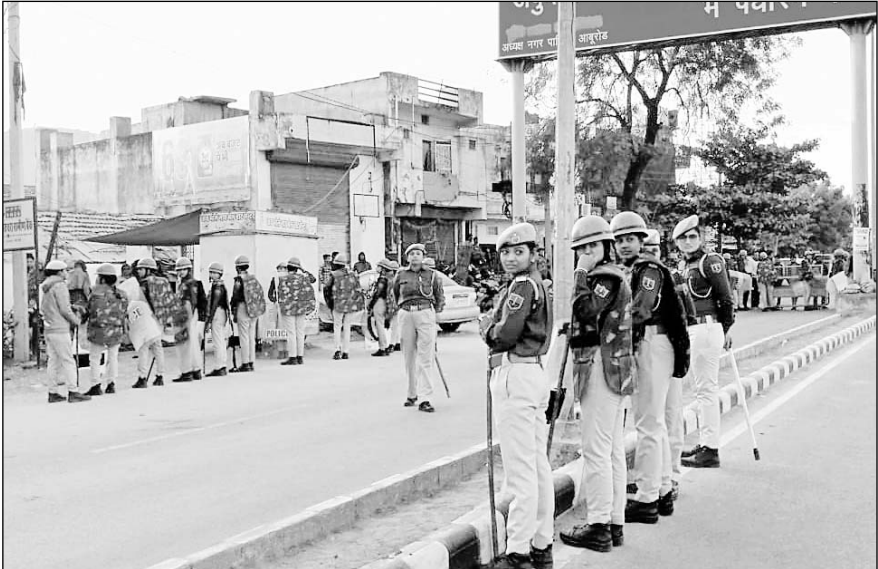
मंदिर हटाने पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

एसपी, सीओ सहित चार पुलिसकर्मी चोटिल

आबूरोड, (निसं)। सिरोही जिले के आबूरोड के सातपुर में बुधवार को तालाब की पाल पर बने मंदिर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर व तालाब पर बने अन्य अतिक्रमण को हटाया गया। बुधवार सुबह 6 बजे से पुलिस का भारी जांका सातपुर पहुंचा। जहां एडीएम कालूराम खोड के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस व प्रशासन की भारी मौजूदगी के बीच लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से समझाइश कर रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों की भीड़ मौके पर जमा होती रही।

मौके पर पहुंचे भाजपा ग्रामीण मण्डल के अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने प्रशासन से हनुमान जी की मूर्ति को अन्य मंदिर में शिफ्ट करने को कहा जिसपर पुलिस प्रशासन की टीम ने मूर्ति को निकाल सातपुर के अन्य मंदिर में शिफ्ट की। मौके पर जेसीबी की मदद से मंदिर को तोड़ा। वही तालाब की जद में आ रहे अन्य अतिक्रमण को भी मौके से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान आबूरोड-सातपुर मार्ग पर लोग जाम लगाकर बैठे रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर बाद भाजपा व हिन्दू संगठनों के नेताओं ने मंदिर तोड़े जाने के विरोध में सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी दी। पर स्थानीय लोग सड़क पर जमे रहे।

पुलिस ने लोगों से समझाइश की पर लोग नहीं माने तो पुलिस ने सड़क पर बैठें लोगों को उठाया और अपने घर जाने को कहा। आक्रोशित लोग जैसे



पथराव की घटना के बाद आबूरोड के सांतपुर में पुलिस बल तैनात रहा।

ही गलियों में गए तो गलियों में जाकर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एसपी देवाराम चौधरी के नाक पर चोट लगी। वहीं माउंट आबू सीओ योगेश शर्मा के मुँह पर चोट लगी। साथ ही अन्य दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लोगों के पथराव के बाद पुलिस ने मौके पर हल्का बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया। गलियों में जाकर पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर कुछ देर के लिए बने तनाव के बाद पुलिस ने शांति स्थापित की। वही इस दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करने

आए भाजपा नेता अरुण परसरामपुरिया पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी। घटना की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर डॉ. भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मौके पर घटना के बारे में जानकारी लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने घायल पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बारों में जानकारी ली।

जिला कलेक्टर डॉ. भवरलाल चौधरी ने बताया कि सांतपुर निवासी कांतिलाल उपाध्याय द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि तालाब की 14

बीघा भूमि पर अतिक्रमण है जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं पर याचिकाकर्ता द्वारा भी अतिक्रमण कर मकान बनाया गया जिसपर पर कार्रवाई नहीं की गई। जिसके विरोध में गुरुवार को आबूरोड बन्द का आह्वान किया गया है बन्द में सभी हिन्दू संगठन शामिल है।

पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और प्रशासन द्वारा मंदिर हटाए जाने की जानकारी मिलने पर रेवदर विधायक

■ आबूरोड में हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया हनुमान मंदिर

जगसीराम कोली, आबू-पिण्डवाडा विधायक समाराम गरासिया आबूरोड पहुंचे। जहां उन्होंने मंदिर तोड़े जाने और पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का विरोध किया। विधायक जगसीराम कोली ने कहा की सरकार हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और विरोध करने पर लाठीचार्ज की जा रही है। समाराम गरासिया ने कहा कि यह सरकार हिन्दू विरोधी है।

विधायक ने आरोप लगाया की आज जिस प्रकार से घरों में घुस कर पुलिस ने बबरतापूर्ण कार्रवाई की है। यह उचित नहीं हो सकता है। मंदिर के टूटने से कुछ आक्रोशित भीड़ ने गत कदम उठाया हो पर पुलिस को समझाइश से मामला सुलझाया जा सकता था। बच्चों और महिलाओं पर घरों में घुस कर मारपीट की गई है। जिसकी निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन से मांग की के जिन स्थानीय लोगों को पकड़ा और भाजपा पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है पर वो पथराव में शामिल नहीं थे उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा कल आबूरोड बन्द का आह्वान किया गया है।

पटवारी एवं उसका दलाल नौ हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

रामगंजमंडी, (निसं)। एसबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा बुधवार को कार्यवाही करते हुए प्रीती खूबचंदानी पटवारी पटवार हल्का रीछडिया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा को उसके दलाल लेखराज (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवारी से 9 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसबी की कोटा इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामांत्करण खोलने की एवज में प्रीती खूबचंदानी पटवारी द्वारा उसके दलाल लेखराज के माध्यम से 9 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर प्रेशान किया जा रहा है। इस पर एसबी, कोटा के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन में एसबी की कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक चन्द्रकंवर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रीती खूबचंदानी निवासी 2 - एफ-18, विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का रीछडिया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा को उसके दलाल लेखराज निवासी ग्राम कुदायला, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवारी से 9 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देश में आरोपी के निवास सहित अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पृछताछ जारी है। एसबी द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।



घूसखोर प्रीती खूबचंदानी

दलाल लेखराज

उपनिरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, (कासं)। एसबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये संगीता मीणा उपनिरीक्षक पुलिस, थाना जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को परिवारी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में संगीता मीणा उपनिरीक्षक पुलिस, थाना जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण, जयपुर द्वारा परिवारी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर प्रेशान किया जा रहा है। इस पर एसबी जयपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक मानवेन्द्र शर्मा एवं टीम जयपुर ग्रामीण द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये संगीता मीणा निवासी ग्राम रानोली, पुलिस थाना



घूसखोर संगीता मीणा

रानोली, जिला सीकर हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थाना जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को परिवारी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपिया से पृछताछ जारी है। एसबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एक रुपया अधिक वसूला, अब चुकाने होंगे 1000 रु.

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का फैसला

जोधपुर, (कासं)। ग्राहक से सामान पर अंकित मूल्य से एक रुपया अधिक वसूल करना दुकानदार को महंगा पड़ गया। जागरूक ग्राहक ने इसका विरोध करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत पेश की। इस पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक रुपए के बदले अब एक हजार रुपए ग्राहक को वापस लौटाने का दुकानदार को आदेश दिया है।

मामले के अनुसार पाल लिंक रोड निवासी प्रणव मेहता ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि मुख्य पाल रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पोइंट शोपिंग स्टोर से उसने मार्च, 22 में दूध बुश खरीद किया। जिस पर 39 रुपये मूल्य अंकित होने के बावजूद बिल में 40 रुपये वसूल किये गये। मैनेजर को शिकायत करने व कानूनी नोटिस दिलाने के बावजूद अधिक ली गई राशि वापस नहीं लौटाई गई। उन्हे उसका मजक उड़ाया गया। विपक्षी रिलायंस शोपिंग स्टोर द्वारा ज़बाब प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके स्टोर के नियमों के अनुसार अधिक राशि वसूल होने पर उनके मैनेजर द्वारा क्षमा मांगते हुए राशि लौटाने के

अलावा ग्राहक को एक सौ रूपए अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैठ ने सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि परिवारी द्वारा मौखिक रूप से मांग करने व अधिवक्ता से नोटिस दिलवाने के बावजूद विपक्षी द्वारा राशि लौटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह विवाद मात्र एक रुपये की मामूली राशि की अधिक वसूली का नहीं होकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रवर्तन एवं संरक्षण से संबंधित है। विभिन्न आइटमों के इस प्रकार निर्धारित मूल्य पर विक्रेताओं द्वारा छोटी-छोटी राशि के रूप में ग्राहकों से अधिक वसूली करने की नाजायज प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। आयोग ने विपक्षी

रिलायंस स्टोर को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी मानते हुए एक रुपया की राशि वापस लौटाने के अलावा परिवारी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। परिवारी को कानूनी कार्यवाही का खर्चा भी विपक्षी स्टोर द्वारा ही भुगतान किया जावेगा।

पुलिस कांस्टेबल की वाहन की चपेट में आने से मौत

टोंक, (निसं)। पुलिस कांस्टेबल हरिराम वर्मा की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार पीपलू थाना क्षेत्र के नानेर निवासी हरिराम वर्मा पुत्र फूलचंद रैगर जो कि बूंदी पुलिस में कांस्टेबल है, अपने मित्र मुकेश पुत्र प्रहलाद रैगर 28 साल के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि काशीपुरा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हरिराम की मौत हो गई और मुकेश घायल हो गया। पीपलू पुलिस ने मृतक कांस्टेबल को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच शुरु कर दी।

टोंक, (निसं.)। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति (अ.नि.) प्रकरण टोंक ने मेहंदवास क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले में एक जने की केरोसिन डालकर जला देने के बाद इलाज के दौरान मौत होने पर हत्या के दर्ज प्रकरण में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 आरोपियों को बरी करने के आदेश पारित किए।

एसी-एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश चौपडा ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि 3 नवम्बर 2015 को दोपहर 11 बजे जमीनी विवाद के मामले में आरोपी परिवारी नाथूलाल बैरवा पुत्र कंवरी लाल बैरवा निवासी मेहंदवास के खेत पर सरसों की उगी फसल को ट्रैक्टर से



हत्या के दर्ज प्रकरण में आजीवन कारावास के आरोपी।

नष्ट करने गए, जिस पर परिवारी के बेटे राजाराम ने मना किया, जिस पर आरोपियों ने पहले मारपीट की और ट्रैक्टर के टब में से केरोसिन की बोतल

निकालकर राजाराम पर डाल दी और माचिस लगाकर जला दिया। इलाज के दौरान जयपुर एसएमएस में राजाराम की तीन-चार

दिन के बाद मौत हो गई। राजाराम ने मौत से पहले पुलिस को पचा बयान दिया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है। जिस पर पुलिस ने 31

दिसम्बर 2012 को एफआर लगा दी थी, जिस पर न्यायालय ने 16 सितम्बर 2016 को पुनः प्रसंज्ञान लिया, जिस पर मामला धारा 302 में दर्ज किया गया। जिस पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से चार आरोपियों मनराज, रामसहाय उर्फ राजू, हंसराज पुत्रान जमनालाल, महावीर पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी मेहंदवास को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किए। वहीं इस मामले में शेष 5 आरोपियों जगदीश, लालाराम, रुपा देवी, गोपाली, गोपीलाल को दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए।

विद्या के मंदिर में शराब-मांस पार्टी

श्रीडूंगरगढ़ में स्टेट हाइवे पर स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला

बीकानेर, (निसं)। श्रीडूंगरगढ़ में स्टेट हाइवे पर स्थित एक सरकारी स्कूल की क्लास में स्टूडेंट्स के होश उस समय उड़ गए, जब टेबल पर चिकन-मटन के टुकड़े मिले। इतना ही स्कूल के बाहर शराब की बोतलें भी पड़ी मिली। इसके बाद से स्टूडेंट्स और अभिभावकों में आक्रोश है। बुधवार सुबह श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। शैर दरबार के लिए प्रसिद्ध तोलियासर के सरकारी स्कूल में मंगलवार को मांसाहार किया गया। इस

दौरान शराब पार्टी भी होने की आशंका है। इसकी जानकारी मिलने के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 के कमरा नम्बर 17 में मांस के टुकड़े मिले थे। साथ ही रोटी व रोटी को पैक करने वाले कागज भी मिले। मौका देखने से पता लगता है कि अज्ञात लोगों ने यहां रात में मांसाहार किया। कुछ लोग क्लास रूम का कुंडा तोड़कर भीतर घुसे हैं। खाना खाने के बाद हड्डियां, मांस, तंदूरी रोटी आदि वहीं फेंक दिए। स्टूडेंट्स ने ये सब देखा

■ स्टूडेंट्स क्लास में पहुंचे तो टेबल पर पड़े थे चिकन-मटन के टुकड़े, स्कूल के बाहर शराब की बोतलें

तो प्रिंसिपल व टीचर्स को सूचना दी। सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी सिंह राजपुरोहित सहित अनेक ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। सभी ने रोष जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजपुरोहित

ने कहा कि पूर्व में भी पुलिस को स्कूल में नल आदि तोड़ने की सूचना दी थी परंतु कार्रवाई नहीं हुई।

स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौका मुआयना किया गया। इससे पहले दस सितम्बर को इसी स्कूल में अज्ञात लोगों ने घुसकर कमरों के ताले तोड़ दिए थे। बच्चों के उपयोग का कुछ सामान भी चोरी हो गया था। तब स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को रिपोर्ट दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये ही कारण है कि चोरों और असामाजिक तत्वों के हाँसे बढ़ते जा रहे हैं।

ग्रेवल सड़क का निर्माण किए बिना उठा लिया लाखों रुपये का भुगतान

सायला, (निसं)। सायला के निकट तूरा ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाए बिना लाखों रुपए भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार तूरा ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए 14.78 लाख रुपये राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन माह फरवरी 2022 तक उक्त मार्ग का निर्माण नहीं किया गया था जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सायला द्वारा 8 फरवरी 2022 को ग्राम विकास अधिकारी सुनील चौधरी को नोटिस भेजकर उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही नोटिस प्राप्त के तीन दिवस के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करवाने का ठोस कारण सहित प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

लेकिन ग्राम विकास अधिकारी एवं ठेकेदार की कथित मिलीभगत के चलते उक्त ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य कागजों में ही पूर्ण बताकर दिनांक 29 मार्च 2022 को करीबन 7 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक करीबन 4-5 साल से कोई ग्रेवल सड़क मार्ग नहीं बनाया गया है



सायला के निकटवर्ती तूरा-सोनारियां ग्रेवल सड़क मार्ग पर रेत जमी हुई है।

और ना ही किसी प्रकार की मरम्मत करवाई गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाए भुगतान उठाकर सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही है।

इस प्रकार किया भुगतान:- ग्राम

पंचायत तूरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में तूरा गांव से सोनारिया स्कूल तक ग्रेवल सड़क निर्माण के नाम पर फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में 21 अक्टूबर 2022 को बिल संख्या 3 व्यय राशि 242497, बिल संख्या 4 व्यय राशि

242497 एवं बिल संख्या 5 व्यय राशि 235106 का बिल भुगतान किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत तूरा द्वारा कुल राशि करीबन 7 लाख 20 हजार रुपये का फर्म श्री अंबिका उद्योग के खाते में भुगतान किया गया। वही उक्त बिल 29

■ ग्रामीणों का कहना है कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक करीब 4-5 साल से कोई ग्रेवल सड़क मार्ग नहीं बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार की मरम्मत करवाई गई है

मार्च 2022 को भुगतान के लिए ऑनलाइन अपलोड किए गए थे। जगह जगह बने गड्डे व रेत जमा:- तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक ग्रेवल मार्ग पर जगह-जगह गड्डे बन गए हैं तथा रेत पड़ी है। जिससे वाहनचालकों को आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सड़क किनारे बबूल की कंटीली झाड़ियां उगने से रास्ता संकरा हो गया है। जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को ग्रेवल सड़क मार्ग के बीचों-बीच चलना पड़ रहा है।

मनमोहन मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला ने कहा कि यह मामला मेरी जॉइनिंग से पहले का है। जिसकी जानकारी लेता हूँ। अगर बिना ग्रेवल सड़क निर्माण किए भुगतान हुआ है तो नियमानुसार वसूली निकालकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर राजकीय विद्यालय सोनारियां भी आया हुआ है तथा कई कृषि बेरे भी स्थित है। ऐसे में इस मार्ग से आवागमन के दौरान विद्यार्थियों एवं किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बलवंतसिंह दहिया, उपसरपंच तूरा का कहना है कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक ग्राम पंचायत द्वारा बिना ग्रेवल सड़क का निर्माण किए ठेकेदार को भुगतान किया गया है। जिसकी विभागीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनील चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी तूरा ने बताया कि तूरा गांव से सोनारियां स्कूल तक तीन वर्ष पहले ग्रेवल सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी जो मार्च 2022 में बनाया गया था तथा भुगतान किया गया है। अगर ग्रेवल सड़क नहीं बनी है तो देखते हैं।

मनमोहन मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला ने कहा कि यह मामला मेरी जॉइनिंग से पहले का है। जिसकी जानकारी लेता हूँ। अगर बिना ग्रेवल सड़क निर्माण किए भुगतान हुआ है तो नियमानुसार वसूली निकालकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द

क्रमांक:- जिपरा/क.लि.भर्ती-2013/प्र.सु.दि./2022-23/1940 दिनांक:23.11.2022

विज्ञप्ति

जिला परिषद राजसमन्द द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिरिक्त अस्थायी प्रतीक्षा सूची दिनांक 9-11-2022 को जारी कर दिनांक 17-11-2022 तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत अतिरिक्त अस्थायी प्रतीक्षा सूची दिनांक 23-11-2022 को जारी कर विभागीय पोर्टल www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर अपलोड हेतु प्रेषित कर दी गई है एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चप्पा की गई है। उक्त विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड अतिरिक्त द्वितीय प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित क्र.सं. 1 से 100 तक के अभ्यर्थी दिनांक 28-11-2022 एवं क्र.सं. 101 से शेष अभ्यर्थी दिनांक 29-11-2022 को दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय समय तक कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द के सभागार में अभ्यर्थी अपने साथ आवेदन पत्र मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणित प्रति, वांछित शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करावे। सम्बन्धित अभ्यर्थी के निर्धारित दिनांक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

(उस्ताह चौधरी)IAS, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द



आगामी विधानसभा चुनावों के महीनजर भाजपा प्रदेश भर की 200 विधानसभा सीटों पर जनक्रोश यात्रा करने जा रही हैं, जिसकी तैयारी के सम्बंध में जयपुर में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों को संबोधित किया।

भाजपा की 200 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर जयपुर में हुई कार्यशाला

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, आपको भरोसा देता हूँ कि 2023 और 2023 के बाद अनंतकाल तक भाजपा राजस्थान में सत्ता का माध्यम बनेगी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता राज करेगी और इसलिए यह संघर्ष कांग्रेस के जंगलराज के खिलाफ आपातकाल जैसा ही है

जयपुर, 23 नवम्बर (का.सं.)। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की भाजपा जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर सी स्वीम स्थित महावीर स्कूल सभागार में जिला व विधानसभा संयोजक व सह संयोजकों की कार्यशाला को संबोधित किया।

जन आक्रोश यात्रा कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासन में जनविरोधी नीतियों व वादाखिलाफी से हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई नौजवान केवल 35 सी रूपये कर्जे के कारण ना केवल अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, बल्कि उसका पूरा परिवार अपने प्राणों को त्यागने को मजबूर हो जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं होगा कि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर का सोहनलाल कडेल अपना लाइव वीडियो बनाकर यह कहा कि “मैं अपनी मौत को इसलिए गले लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कर्जे से चंगा आना के आत्मदाह कर रहा हूँ, जिस प्रदेश के मुखिया को किसी अबला के 35 टुकड़े किए जाने पर सामान्य घटना लगती है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का 1 वर्ष का आंकड़ा 6337 हो, प्रतिदिन औसत 17 बलाचार, 7 हत्या, जिसके खते में दर्ज हो, चार वर्षों में सवा 8 लाख से अधिक मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज होते हैं, आपके घर नवजात पैदा होता होगा आप लोग खुशियां मनाते होंगे, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में जब कर्जे का आंकड़ा 5 लाख करोड़ के लगभग पहुंचता है तो वह बेटा-बेटी 80 हजार का कर्जा लेकर पैदा होता होगा।

बैंच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बैंच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण की रीति-नीति के चयन के लिये मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल किये जा सकें।

बैंच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बैंच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण के लिये लम्बे समय तक चलने वाली प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इस प्रकार लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच सकें।

■ **कार्यशाला में प्रदेशभर से 500 से अधिक जिला व विधानसभा संयोजक एवं सह संयोजक जुटे।**

■ **राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा और कमल के फूल के छाते के नीचे आपकी पहचान, आपका स्वभिमान, आपका गौरव, आपकी खूबी, आपका वर्चमान, आपका भविष्य यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मिशन 2023 के विजय संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध होकर जुट जाएं।**

उन्होंने कहा कि कोरोना त्रासदी के 2 साल बहुत ही मुश्किल से निकले, लेकिन इस दौरान भाजपा के 685 कार्यकर्ताओं ने सेवा करते करते अपने प्राणों का उर्सगं कर दिया।

पूनिया ने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में 30 प्रतिशत से ज्यादा है, 70 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी थी, 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कहते घूम रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 69 लाख का क्या होगा यह रोडमैप राज्य सरकार के पास नहीं है। हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार की रफ्तार है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान की धरती पर जब पहला कदम रखेंगे, मेरा पहला सवाल होगा किसान कर्जमाफी के वादे को लेकर। पता नहीं वर्ष 2018 की जनसभा में किसने राहुल गांधी को पर्ची पहुंचाई और जब वो कह रहे थे कि 1 से 10 तक गिनती गिनुंगा किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, राजस्थान के 60 लाख किसान 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्जों की माफी का आज भी इंतजार करते हैं।

पूनिया ने कहा कि “मुझे पता लगा कि राहुल की मालाखेड़ा में सभा है, अलवर के मालाखेड़ा में बड़ा रोचक वाक्या हुआ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई तो तुरंत नौकरी, एक नौजवान को खड़ा किया और पूछा

आपका क्या नाम है उसने कहा कि, रूपसिंह, रूपसिंह की नौकरी पक्की। अब 4 साल हो गए रूपसिंह बेचारा चक्कर काटते ही घूम रहा है। इसलिए जब राजस्थान की धरती पर राहुल गांधी कदम रखें तो इन बातों का जवाब जरूर लेकर आएं।”

उन्होंने कहा कि“मित्रों आपमें से बहुत लोगों ने वर्ष 1975 की इमरजेंसी को सुना होगा और यहां कुछ लोगों ने उस इमरजेंसी को देखा व भुगता भी है। आज राजस्थान का वही दृश्य है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपसे न्याय मांगती है, हम लोग राजस्थान की जनता के लिए, उसके लोक कल्याण के लिए केवल सत्ता के लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए संकल्पित है, राजस्थान की राजनीति के अज्ञातशत्रु स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत की जन्म शताब्दी है, उनकी सरकार से लेकर भाजपा सरकारों में हुए अबतक के विकास कार्यों से राजस्थान की दिशा को दशा को बदलने का काम किया, पिछले दिनों रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आए, उन्होंने बताया कि अकेले राजस्थान में 56 हजार करोड़ रूपए रेल नैटवर्क को विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने दिए।

पूनिया ने कहा कि “मुझे पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाने का मौका मिला, मैंने एक लाइव वीडियो जारी किया था, जोधपुर के नजदीक की किसी शोक सभा में गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्यादा समय नहीं लगना आधा घंटा लगना जाकर आ

जाओगे। सफर 30 किलोमीटर था और मुझे एक घंटा लगा, पता नहीं लग रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्डे में सड़क, इतने खड्डे थे जितने कांग्रेस पार्टी के शासन में और कांग्रेस पार्टी में हैं, बिजली और पानी की दशा आपको पता है, पानी का हाहाकार आपको पता है, अस्पताल और स्कूलों की दशा आपको पता है।”

“अशोक गहलोत ने खोल दिए खूब सारे कॉलेज खोलें, लेकिन ना बििल्डिंग है, ना फैकल्टी है, स्कूल खोल दिए संसाधन नहीं है। इसलिए ऐसी अराजक, आतलापी सरकार के खिलाफ यह दृश्य वैसा ही है जैसा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ, जो गुजरात से शुरू हुआ और बिहार से समग्र क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ।”

उन्होंने कहा कि“यह अराजकता के खिलाफ लड़ाई है, उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, जिस मानसिकता में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। यह कैसा प्रदेश है कैसा शासन है, रामनवमी के जलूस पर प्रतिबंध लग जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली यह वो सारे स्थान हैं जिसमें अत्याचारों और तुष्टिकरण की आपने पराकाष्ठा देखी होगी, केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल सियासी रोटी सेकना, केवल कर द्रष्टा सरकार को बदनाम करने का काम करना, इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं है।”

इस दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, हेमराज मीणा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, गजेंद्र सिंह खींवसर, सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, महेंद्र जाटव, मधु कुमावत इत्यादि भी उपस्थित रहे।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर काफी तीखी टिप्पणी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
दिये गये सिद्धांतों को लागू करने वाले आवश्यक नियम तैयार नहीं किये हैं, जबकि केन्द्र तथा राज्यों ने विद्युत-क्षेत्रों के नियमन के लिये नीतियाँ तथा गाइडलाइनें तैयार कर दी हैं।

मुख्य न्यायाधीश डॉ. धर्नजयवाई. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति ए.एस. बोपला एवं जे.बी. बार्दीवाला की बैंच ने कहा कि जहाँ-जहाँ आयोगों ने नियम तैयार कर दिये हैं, उनमें संशोधन किये जायेंगे ताकि उनमें शुल्क-निर्धारण की रीति-नीति के चयन के लिये मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल किये जा सकें।

बैंच ने कहा कि नियामक आयोग को इन नियमों को तैयार करते समय राज्य की विशिष्ट जरूरतों का ख्याल रखना होगा। बैंच ने यह भी कहा कि शुल्क निर्धारण के लिये लम्बे समय तक चलने वाली प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे इस प्रकार लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच सकें।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सुनवाई के लिये गये इस बहुत बड़े मुद्दे के तुरन्त बाद यह बात कही।

भूषण ने कहा, “अरूण गोयल अभी गुरुवार तक सरकार में सचिव-स्तर के ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। एकाएक शुक्रवार को उन्हें वी.आर.एस. दे दिया गया तथा चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया।” उन्होंने कहा कि वे 60 वर्ष की उम्र पूरा करने पर 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने को थे।

अदालत ने सरकारी के वकील, अटॉर्नी जनरल आर. वैक्टरमानी की इस आपत्तियों को खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत उदाहरण लेना अच्छी बात नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील से कहा, “हम यह देखना चाहते हैं कि यह मैकिनज्म क्या है। हम इसे प्रतिकूल अर्थ में नहीं लेंगे तथा इसे अपने रिर्काई के

लिये रखेंगे, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, जैसा कि आपका दावा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके पास कल तक का समय है।”

आयोग की वेबसाइट के अनुसार, अरूण गोयल ने इसी सोमवार को, 21 नवम्बर को ही पदभार ग्रहण किया है। पंजाब कैडर से 1985 के बैंच के आई.ए.एस. ऑफिसर रहे गोयल, 37 साल से अधिक अवधि तक सेवाएं देने के बाद, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुये हैं।

फरवरी 2025 में राजीव कुमार द्वारा पद त्याग किये जाने के बाद, गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में होंगे।

इससे पहले, अदालत ने कहा कि “संविधान की खामोशी” का सरकारें अनुचित लाभ लेते रही हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ ने कहा कि 2004 के बाद, किसी भी सी.ई.सी. ने छ: वर्ष का

कार्यकाल पूरा नहीं किया।

अदालत ने कहा कि एक के बाद एक, सरकारों ने ई.सी.आई. की स्वतंत्रता “पूरी तरह नष्ट कर दी” है तथा किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त 1996 के बाद आयोग के प्रमुख के रूप में, अपना छ: वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया।

अदालत ने कहा, “यह बहुत ज्यादा व्याकुल कर देने वाली प्रवृत्ति है। टी.एन. शेणन (जो 1990 से 1996 तक छ: साल सी.ई.सी. रहे थे) के बाद, यह पतन शुरू हो गया तथा किसी भी व्यक्ति को पूरा कार्यकाल नहीं दिया गया। सरकार यह कर रही है कि चौँकि उसे जन्मतिथि ज्ञात होती है, इसलिए वह सुनिश्चित कर लेती है कि सी.ई.सी. नियुक्त किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरे छ: साल का कार्यकाल नहीं मिल सके।” अदालत ने कहा कि “चाहे यू.पी.ए. सरकार रही हो या यह

‘माही सागर बांध का पानी जालोर, बाड़मेर व सिरोही आयेगा’

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि, जनवरी 2023 तक, इस पानी को राजस्थान लाने के लिए विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट पेश करे

जालोर, 23 नवम्बर (कासं)। राजस्थान किसान संघर्ष समिति जालोर के अध्यक्ष सेवानिवृत्त तहसीलदार ब्रदीदान ने बताया कि संघर्ष समिति की ओर से मैंने गुजरात के विभागों में 446 बार आरटीआई लगाकर सूचनाएं मांगी। उन दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उसके आधार पर उच्च न्यायालय ने अब राज्य सरकार को जनवरी के दूसरे सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह किसानों की पहली जीत है, हम प्रयास करेंगे कि सरकार इस सत्र में माही परियोजना के लिए बजट जारी करे।

ब्रदीदान ने कहा जालोर समेत बाड़मेर और सिरोहीवासियों के लिए खुशखबरी है। पिछले लंबे समय से माही बजाज सागर परियोजना को लेकर राजस्थान किसान संघर्ष समिति की ओर से किए जा रहे प्रयासों को कुछ हद तक राहत मिली है। दरअसल, समिति की ओर से माही बांध के पानी को जालोर, सिरोही व बाड़मेर को उपलब्ध करवाने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में मार्च 2021 में एक जनहित याचिका दायर की थी, उसमें अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक एक प्लान बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को जालोर में प्रैसवार्ता के दौरान कहा, राज्य सरकार को किसान संघर्ष समिति की ओर से दिए गए चार सुझावों के साथ-साथ खुद का विकल्प भी शामिल करने को निर्देश दिया हैं।

समिति पदाधिकारियों ने बताया कि अब न्यायालय का सहयोग मिलाने से भरोसा बढ़ गया है, इसके कार्य की योजना को लेकर समिति की ओर से 28 नवम्बर को नरपुरा में एक बड़ी बैठक की बुलाई गई है, ताकि सरकार माही बजाज योजना के लिए इस बजट सत्र में बजट जारी कर सके। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का माही बांध एवं गुजरात में बने कड़ाणा बांध के पानी के वितरण का समझौता हुआ था। जिसमें प्रथम व पंचम बिंदु में साफ लिखा है कि माही व कड़ाणा बांध के पानी पर पश्चिमी राजस्थान का हक है। इस समझौते पर राजस्थान के तत्कालीन कृषि मंत्री नाथुराम मिर्वा, गुजरात के जल संसाधन सचिव एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री विजय त्रिवेदी के हस्ताक्षर

‘मोटर यात्रा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि वर्ष 2016 में संघ के पत्र पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किए थे,लेकिन छह साल बाद भी सिर्फ स्टेनोग्राफर और लेखाधिकारी ही नियुक्त किए गए, लेकिन सभी जगह ये पद भी पूर्ण रूप में नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेशों से श्रम न्यायालय और अन्य न्यायालयों को भी मोटर वाहन के लम्बित दावे हस्तांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर लेखाधिकारी और स्टेनोग्राफर तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे अधिकांश काम ठीक से नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने विभिन्न निर्देशों में सिर्फ स्टेनोग्राफर और लेखाधिकारी के पद ही भरने का कहा था, जो अधिकांश जगह भर दिए गए हैं। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी की।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दो सप्ताह में तालिका और शपथ पत्र पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं और इनकी संख्या कितनी है। राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताएं कि रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा।

ई.डब्ल्यू.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

“निष्प्रभावी करने” के लिये आधारभूत सैद्धान्तिक ढाँचे का प्रयोग “तत्काल” के रूप में करने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। बैंच ने 3:2 के बहुमत 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में फैसला दिया था।

सरकार, रीति-नीति यही रही है।”

बैंच ने कहा, “यू.पी.ए. सरकार के 10 वर्षों में छ: सी.ई.सी. रहे तथा मौजूदा एन.डी.ए. सरकार के करीब आठ वर्षों में आठ सी.ई.सी. रह चुके हैं। जहाँ तक अपने दान का संबंध है, यह तीर-तरीका चिन्तित कर देने वाला है। संविधान में इस बाबत कोई “चैम्स एवं बैलेन्सेज” नहीं है। इस तरह से संविधान की खामोशी का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। चौँकि को कोई कानून ही नहीं है, अतः कानूनी रूप से वे (सरकारें) सही हैं। कानून के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता।”

बैंच ने अटॉर्नी जनरल आर. वैक्टरमानी से कहा, “2004 के बाद सी.ई.सी. की सूची देखें, उनमें से अधिकांश का कार्यकाल दो वर्ष से ज्यादा नहीं रहा। कानून के अनुसार, सी.ई.सी. का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु को भी पहले हो, तक रहना

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सफलता नहीं मिल रही। लेकिन अगर पार्टी बिहार के मौजूदा महागठबंधन, जो जे.डी.यू., आर.जे.डी. तथा कांग्रेस से मिलकर बना है, के साथ अपने चुनाव-पूर्व गठबंधन को औपचारिक रूप दे देती है तो पार्टी की संभावनाएं कुछ बेहतर हो सकती हैं। शिव सेना की साथ लेकर, महागठबंधन के नेता ऐसा मान सकते हैं कि शिव सेना उनके लिये वैसी सिद्ध हो सकती है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने को कोशिश करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.टी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मीटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, “वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।” आदित्य ठाकरे ने कहा, “हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मीटिंग नहीं हो सकीं। हमने कोई बिन्दुओं व जन चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।”

तय है। इनमें से अधिकांश लोग पूर्व अफसरशाह थे तथा सरकार को उनकी उम्र मालूम थी। उन्हें उम्र के उस बिन्दु पर नियुक्त किया गया कि वे किसी भी सूरत में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें छोटा कार्यकाल ही मिला।”

बैंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 में सी.ई.सी. तथा ई.सी. की नियुक्ति के बारे में बताया गया है लेकिन इसमें इन नियुक्तियों की प्रक्रिया के प्रावधान के बारे में कुछ नहीं कहा गया तथा इस बाबत कानून बनाने का काम संसद के लिये छोड़ दिया गया। लेकिन पिछले 72 सालों में यह काम नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप, केन्द्र द्वारा कानून न होने का अनुचित फायदा उठाया जाता रहा हैं।”

यह बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय तथा सी.टी. रवि कुमार भी शामिल हैं,

बिहार के मुख्यमंत्री तथा उनके उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सहित, अन्य राज्यों में गैर-भाजपा गठबंधन सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगे हुये हैं तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सहित, बहुत विपक्षी नेताओं के मन टटोले हैं। नीतीश कुमार ने तो अधिकृत वक्तव्य के रूप में कह भी दिया है कि अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक गठबंधन भाजपा को हरा सकते हैं। शिव सेना यू.बी.टी. का विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकता है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने को कोशिश करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.टी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मीटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, “वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।” आदित्य ठाकरे ने कहा, “हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मीटिंग नहीं हो सकीं। हमने कोई बिन्दुओं व जन चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।”

तय है। इनमें से अधिकांश लोग पूर्व अफसरशाह थे तथा सरकार को उनकी उम्र मालूम थी। उन्हें उम्र के उस बिन्दु पर नियुक्त किया गया कि वे किसी भी सूरत में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें छोटा कार्यकाल ही मिला।”

बैंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 में सी.ई.सी. तथा ई.सी. की नियुक्ति के बारे में बताया गया है लेकिन इसमें इन नियुक्तियों की प्रक्रिया के प्रावधान के बारे में कुछ नहीं कहा गया तथा इस बाबत कानून बनाने का काम संसद के लिये छोड़ दिया गया। लेकिन पिछले 72 सालों में यह काम नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप, केन्द्र द्वारा कानून न होने का अनुचित फायदा उठाया जाता रहा हैं।”

यह बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय तथा सी.टी. रवि कुमार भी शामिल हैं,

बिहार के मुख्यमंत्री तथा उनके उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सहित, अन्य राज्यों में गैर-भाजपा गठबंधन सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगे हुये हैं तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सहित, बहुत विपक्षी नेताओं के मन टटोले हैं। नीतीश कुमार ने तो अधिकृत वक्तव्य के रूप में कह भी दिया है कि अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक गठबंधन भाजपा को हरा सकते हैं। शिव सेना यू.बी.टी. का विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकता है, जैसे चिराग पासवान भाजपा के लिये सिद्ध हुये थे, क्योंकि शिव सेना स्वयं को भाजपा की तुलना में, कहीं ज्यादा निष्ठावान हिन्दुत्व-पार्टी के रूप में प्रोजैक्ट करने को कोशिश करेगी।

महागठबंधन नेताओं तथा शिव सेना यू.बी.टी. के बीच सामंजस्य बैठाने के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन, माहील अनुकूल दिखाई दे रहा है। आदित्य के साथ हुई मीटिंग के बाद, तेजस्वी ने कहा, “वर्तमान चुनौती कानून एवं लोकतंत्र को बचाने की है तथा हम इन्हें बचाने के लिये सब कुछ करेंगे।” आदित्य ठाकरे ने कहा, “हम एक-दूसरे से सम्पर्क में रहे हैं लेकिन कोविड की स्थिति के कारण हमारी मुलाकात एवं मीटिंग नहीं हो सकीं। हमने कोई बिन्दुओं व जन चर्चा की, लेकिन राजनीति पर नहीं। हमारी मित्रता बनी रहेगी।”

तय है। इनमें से अधिकांश लोग पूर्व अफसरशाह थे तथा सरकार को उनकी उम्र मालूम थी। उन्हें उम्र के उस बिन्दु पर नियुक्त किया गया कि वे किसी भी सूरत में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें छोटा कार्यकाल ही मिला।”

बैंच ने अटॉर्नी जनरल आर. वैक्टरमानी से कहा, “2004 के बाद सी.ई.सी. की सूची देखें, उनमें से अधिकांश का कार्यकाल दो वर्ष से ज्यादा नहीं रहा। कानून के अनुसार, सी.ई.सी. का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु को भी पहले हो, तक रहना